



सत्यमेव जयते

File No.9-HRC001/2022-CHA

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND  
CLIMATE CHANGE

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional  
Office, Chandigarh



फाइल नम्बर: 9-HRC001/2022-CHA

दिनांक: July, 2022

सेवा में

नोडल ऑफिसर एवं अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी),  
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,  
पंचकुला, हरियाणा |

**विषय:** Diversion of 13.4 ha. of forest land in favour of Dy. Chief Engineer/Civil/GGN, National Capital Region Transport Corporation, Gurugram (A Joint Venture of Government of India & participating State Governments) for implementation of Delhi-Gurugram RRTS Corridor Delhi to SNB 106.5 km. & 16 no. Station - Sarai Kale Khan, INA, Munirka, Aerocity, Ugyog Vihar, Sector 17, Rajiv chowk, Kherki Daula, Manesar, Panchgaon, Bilaspur, Dharuhera, MBIR, Rewari, under forest division and District Gurugram, Haryana.(Online Proposal No. FP/HR/Rail/43886 /2020)

**सन्दर्भ:** i). अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 9991/895 दिनांक 23.06.2022.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 13.4 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. इस प्रस्ताव पर दिनांक 11.01.2022 को 46th REC की बैठक में चर्चा की गई थी, जिसमें मांगी गई जानकारी की अनुपालना के लिए राज्य सरकार ने इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 25.01.2022 के केवल बिंदु संख्या (ii) (iv) और (v) का ही अनुपालन किया है, अतः इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25.01.2022 के बिंदु संख्या (i), (iii) की अनुपालना प्रति प्रस्तुत की जाए जो निम्नलिखित है:-

- i) The complete alignment of proposed RRTS passing through forest land, non-forest land along with surface portion and underground portion to be shown separately in KML file with different colours to be submitted.
- ii) As underground portion of forest land is exempted from CA, the CA scheme to be revised accordingly & the NPV with latest NPV rates.

4. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

हस्ता/-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:

1. The Divisional Forest Officer, Forest Division & District Panipat, Haryana (dfo.pnp-hry@nic.in)
2. The Executive Engineer, PWD(B&R), District- Panipat, Haryana.(pwd-eeepd1-panipat@hry.nic.in)